

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./पी-265/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सीकर।

विषय: डॉ० पी.आर.जैफ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सेवानिवृत्त को प्रोवीजनल ग्रेच्यूटी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ० पी.आर.जैफ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सेवानिवृत्त की प्रोवीजनल ग्रेच्यूटी के संबंध में प्रपत्र-33 कार्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही की जा सकें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./पी-265/2024/218

दिनांक : 31/05/2024

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7630946

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date : 31-05-2024 12:48:23